न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 148/2009
निर्णय दिनांक : 03/05/2022

1. छीतर पुत्र पांचू, जाति कुम्हार निवासी ग्राम ग्वार ब्राहम्णान् तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. मु0 गोपाली पत्नी स्व0 श्री रामपाल
3. मोहरूराम पुत्र स्व0 श्री रामपाल
4. कल्याण पुत्र स्व0 श्री रामपाल
5. सुप्यार देवी पुत्री स्व0 श्री रामपाल देवी
6. प्रभू देवी पुत्री स्व0 श्री रामपाल

(3 से 6) (नाबालिग) जरिये सं0 माता गोपाली

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम ग्वार ब्राहम्णान् तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

...........वादीगण

बनाम

1. कजोड पुत्र श्री श्रवण जाति कुम्हार निवासी ग्राम ग्वार ब्राहम्णान् तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय सांगानेर।
3. उप पंजीयक प्रथम सांगानेर।
4. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री पोखर लाल जाति जाट निवासी 16, सरोवर कॉलोनी, सुभाष बाजार, टोंक (राजस्थान)
5. श्रीमती रसाल देवी पत्नी श्री मूलचन्द जाति जाट निवासी ग्राम नयागांव (जमानपुरा) तहसील व जिला टोंक (राजस्थान)
6. सत्यपाल सिंह पुत्र ब्रहमा सिंह जाति जाट निवासी 83, विष्णु गार्डन, सांगानेर जिला जयपुर।
7. श्रीमती मीता शर्मा पत्नी श्री राजेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ए–4, वन विहार कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर।
8. मुकेश मालव पुत्र श्री के0 जी0 मालव जाति ... निवासी ए–14, वन विहार कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर।
9. मंजूल वर्मा पुत्र श्री रमाकान्त वर्मा जाति सैन, निवासी 37, शक्ति नगर, टोंक रोड, जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:03:36 IST
Reason: SelfAttested

2022, 18:43

10. प्रहलाद सिन्हा पुत्र श्री आर0 एन0 सिन्हा जाति कायस्थ निवासी जी–804, गांधी नगर, जयपुर।

11. हिमांशु सरोहा पुत्र श्री हरपाल सिंह सरोहा जाति जाट निवासी 105, साकेत, मेरठ (यू0 पी0)

...........प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र नामंजूर दिये जाने अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

निर्णय

दिनांकः 03/03/2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या लगायत 11 की ओर से एक प्रार्थना पत्र बावत वाद पत्र नामंजूर किये जाने अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का पेश किया गया कि वादी की ओर प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व आदेश 6 नियम 17 को माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 के विरूद्ध संशोधित वाद–पत्र दिनांक 23.11.2009 को पेश किया गया था। वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 के विरूद्ध उक्त संशोधित वाद पत्र में मद संख्या 5 व मद संख्या 8 में वाद हेतुक कब उत्पन्न हुआ इस बावत कही भी वाद हेतुक की दिनांक अंकित नही है क्योंकि वाद हेतुक कभी उत्पन्न ही नही हुआ है। वाद पत्र के मद संख्या 1 व 2 में वर्णित अराजी कृषि भूमि साविक खसरा नम्बर 190 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या 1 को वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 लगायत 6 के पूर्वज रामपाल ने दिनांक 03.07.1976 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सम्पूर्ण हक व अधिकारों सहित विक्रय किया था तथा विक्रय करने के पश्चात् वादीगण का अराजी कृषि भूमि के खसरा नम्बर 190 हाल खसरा नम्बर 351 व खसरा नम्बर 368/1051 में अब किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही रहा है। इस कारण उक्त वाद पत्र में वादीगण को दौराने सैटलमेन्ट वादीगण की उक्त कृषि भूमि में खसरा नम्बर में जो कमी–बढौतरी हुई है उसमें वादीगण को कोई हक व संबंध नही है क्योंकि वादीगण का हक व संबंध तो दिनांक 3.7.1976 को ही प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि को विक्रय करने से ही समाप्त हो गया था। इस कारण वादी को उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ वाद हेतुक कभी उत्पन्न नही हुआ है। वाद पत्र में विवादित खसरा नम्बर 190 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा बारानी दोयम जिसके हाल खसरा नम्बर 351 रकबा 1.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 368/1051 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.36 हैक्टेयर है, जो ग्राम गंवार ब्राहम्णान् तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न राजस्व रिकार्ड नक्शा के अनुसार उक्त विवादित कृषि भूमि की चहुँ दिशाऐं निम्न प्रकार स्थित हैं, जो कि अन्य काश्तकारों की है। पूर्व में – खसरा नम्बर 405, 406, 416 पश्चिम में – खसरा नम्बर 351/1037, 352 उत्तर में – खसरा नम्बर 367 ... दक्षिण में – खसरा नम्बर 350, 417 वादी ने वाद पत्र के मद संख्या ... साविक खसरा नम्बर 93 रकबा 18 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 363 ... 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.04 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 347 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.33 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.27

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:43:36 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(सांगानेर)

...र खसरा नम्बर 427 रकबा 0.23 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 428 रकबा 0.17 ...र कुल किता 5 कुल रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 196 रकबा 5 बीघा ...था हाल खसरा नम्बर 364 रकबा 0.05 हेक्टेयर उक्त सम्पूर्ण खसरान वाली ... भूमि उक्त विवादित 351 रकबा 1.28 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 368/1051 ... 0.08 हेक्टेयर के संलग्न भूमि नही है बल्कि राजस्व रिकार्ड नक्शा के ...सार उक्त विवादित कृषि भूमि व वादीगण द्वारा वाद पत्र में दिये गये उक्त ...म्बर कृषि भूमि के बीच में किसी अन्य दीगर खातेदार की कृषि भूमि है। अतः ... से बढौतरी से वादीगण का सम्बन्ध नही है क्योंकि वादीगण की अन्य भूमि ...स्व रिकार्ड नक्शे के अनुसार वाद पत्र में विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर ... रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 351 व खसरा नम्बर 368/1051 आस-पास नही हैं, इससे ही साबित होता है कि वादीगण को उक्त वाद का ... हेतुक कभी उत्पन्न ही नही हुआ है। माननीय न्यायालय के समक्ष किया ... उक्त वाद समुचित क्षेत्राधिकार के अभाव में विधि विरूद्ध एंव विधि वर्जित है ... वाद पत्र में विधि विरूद्ध एंव विधि वर्जित होने के कारण चाहा गया अनुतोष विधि विरूद्ध व विधि वर्जित है। वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के ... नामंजूर किये जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। वादीगण के वाद ... को मय हर्जे-खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण 4 लगायत 11 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही ... वादीगण के अधिवक्ता द्वारा सीधे ही इस पर बहस की गयी। प्रतिवादीगण 4 ...यत 11 के अधिवक्ता एंव वादीगण के अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर सुना ... दौराने बहस प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 11 के अधिवक्ता की ओर ...र्थन में दस्तावेजात् पेश किये, जो शामिल पत्रावली किये गये।

दौराने बहस वकील प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित ...थ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण को कोई वाद हेतुक उत्पन्न ... होता है, वादीगण का वाद खारिज किया जावें। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा ...तिवादी संख्या 4 लगायत 11 के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया ... वादीगण को सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वादकारण उत्पन्न हुआ ... तथा प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 4 ...यत 11 को कर दिये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 के ...रूद्ध वादकारण उत्पन्न हो गया है, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 द्वारा प्रस्तुत ...र्थना पत्र को खारिज किये जाने का कथन किया।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मय दस्तावेज का अवलोकन ... बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मय दस्तावेज का अवलोकन ...या गया। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एंव दस्तावेजात् के अवलोकन ...स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने का मुख्य ...धार वादीगण द्वारा पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र ... बेची गयी भूमि का दौराने भू-प्रबन्ध कार्यवाही रक... [illegible] वादीगण ... [illegible] हाल खसरा ... अन्य कृषि भूमि का रकबा क... [illegible] ...र 351 व 368/1051 के राज... [illegible] व 368/1051 ...दीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित वादग्रस्त खसरा ... [illegible], 426, 427, 428, ...दीगण की अन्य कृषि भूमि खसरा नम्बर 361 362, 347, [illegible] ...र 177, 378 से लगती हुई नही है तथा वादीगण की अन्य कृषि भूमि से ...ती हुई दीगर व्यक्तियों की भूमि भी है, इसलिए वादीगण द्वारा अपनी भूमि के ... में कमी होना व इससे प्रतिवादीगण संख्या 1 की भूमि का ही रकबा बढ ... साबित नही होता है तथा जब वादी संख्या एक व वादीगण संख्या 2 ... 6 के पूर्वज रामपाल द्वारा वर्ष 1976 में गत खसरा नम्बर 190 सम्पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:03:36 IST
Reason: SelfAttested

...022, 18:43

ा बेचान कर दिया था तो फिर उस भूमि के हाल खसरा नम्बर व उसके रकबा । कमी या बढोतरी से वादीगण का कोई हक व सम्बन्ध नही रह जाता है, करण में वादीगण के अपने वाद में किये गये अभिवचनों से ही स्पष्ट होता है के वादग्रस्त भूमि के साबिक नम्बर 190 का बेचान पूर्व में ही किया जा चुका है, जसकी जानकारी शुरू से ही वादीगण को रही है। इस प्रकार वादीगण द्वारा स्तुत वाद में दर्शित कोई वादकारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध उत्पन्न नही हुआ ै। इस प्रकार वादीगण का वाद सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (क) के तहत कवर होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद कोई वाद हेतुक उत्पन्न न होने के कारण खारिज किया जाता है। तथा इस अनुरूप अलग से डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/03/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:03:36 IST
Reason: SelfAttested

022, 18:43